छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

सामान्य प्रशासन विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक एफ 9–1 / 2018 / 1–8 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.7.19

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर दिनांक 25.07.2019(गुरूवार) से 11.08.2019 (रविवार) तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. परीक्षा की तिथि – 03 सितंबर, 2019 (मंगलवार)
2. परीक्षा का समय – प्रातः 9.00 बजे से 12.00 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि– 25.07.2019 (गुरूवार)
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि –11.08.2019 (रविवार), रात्रि 11.59 तक

2. **परीक्षा शुल्क –**

सामान्य वर्ग	– 350 / –
अन्य पिछड़ा वर्ग	– 250 / –
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	– 200 / –

3. **रिक्त पदों का संख्या एवं वेतनमान**

1. सहायक प्रोग्रामर – 01 पद (वेतन मेट्रिक्स में लेवल – 9)

4. रिक्त पदों में आरक्षण की जानकारी

पद नाम एवं संख्या — सहायक प्रोग्रामर – 01 पद

क्र	वर्ग	पद संख्या				योग
		अनारक्षित	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन	
1	अनारक्षित	01	00	00	00	01
2	अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00
3	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	00	00	00	00	00
	योग	**01**	**00**	**00**	**00**	**01**

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, क्रमांक 592/2012, क्रमांक 593/2012 तथा क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्ययीन रहेंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार अथवा संबंधित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

5. पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :–

सहायक प्रोग्रामर :–

प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी.(इंजीनियरिंग) या स्नातक कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी

अथवा

एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी./एम.ए. या स्नातक में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी।

अथवा

बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/बी.एस.सी./बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी।

नोटः–(1) उपरोक्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।

6. **आयु सीमा –**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2019 को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2019 में निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु–सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. **नियुक्ति के लिए शर्ते –**

(1) आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।

(2) सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह किये हों, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3, दिनांक 29.06.2013 एंव परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप –(एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

(7) चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन के पश्चात् सेवा में लिया जायेगा।

(8) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी। यदि आयु भी समान हो तो लिखित परीक्षा में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(9) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(10) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग का होगा।

8. परीक्षा पद्वति

(अ) संयुक्त लिखित परीक्षा

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा उपरोक्त सभी पदों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 150 अंको का एक प्रश्न–पत्र होगें।

(ब) मूल्यांकन पद्वति –

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गतल होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (–) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से योग्य है।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, व्यापमं की परीक्षा संचालन नियम एवं अन्य विवरण व्यापमं की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध होगा।

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग